

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
OA No. 1101 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Rafeek Ahamad & Ors. ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

INDEX

NDOH: 18.03.2025

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply to the Original Application on behalf of Respondent No. 6, Ayush Jindal along with an accompanying Affidavit.	3-13
2.	<u>ANNEXURE R/1:</u> True and certified copy of the charge sheet against Answering Respondent.	14-16
3.	<u>ANNEXURE R/2:</u> True copy of the Hospital Report of the Meerut Critical Care Hospital as of 28.02.2023.	17
4.	<u>ANNEXURE R/3:</u> True and Certified Copy of the said Forensic Science Laboratory Report dated 04.05.2023.	18-19
5.	<u>ANNEXURE R/4:</u> True copy of one Mr. Neeraj Kumar's statement before the Hon'ble District Judge-I of Roorkee dated 02.07.2024.	20-22
6.	<u>ANNEXURE R/5:</u> True copy of the cross-examination statement of Aadil before the Hon'ble District Judge- I of Roorkee dated 01.08.2024.	23-25
7.	<u>ANNEXURE R/6:</u> True copy of the statement of Sub-Inspector Naresh Kumar before the Hon'ble District Judge- I of Roorkee dated 28.08.2024.	26-29
8.	<u>ANNEXURE R/7:</u> True copy of the statement of Suraj Kashyap before the Hon'ble District Judge- I of Roorkee dated 28.08.2024.	30-32
9.	<u>ANNEXURE R/8:</u> True copy of the statement of Dr. Tarik Aziz before the Hon'ble District Judge- I of Roorkee dated 17.01.2025.	33-35

10.	<u>ANNEXURE R/9:</u> True copy of the statement of Sub-Inspector Baru Singh before the Hon'ble District Judge- I of Roorkee dated 05.02.2025.	36-41
11.	Vakalatnama	42
12.	Proof of Service	43-44

Date: 16.03.2025

Place: New Delhi

DRAWN & FILED BY:



Vedant Bijalwan & Abhishek Darmora
Advocates for the Respondent Nos. 6
Address: P-97, South Extension II,
Block P, Delhi, New Delhi – 110049
Email Id: vedantbijalwan1@gmail.com
Mobile No.: +91 - 8077742194

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
OA No. 1101 OF 2024**

IN THE MATTER OF:

Rafeek Ahamad & Ors. ...Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

**REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION ON BEHALF OF
RESPONDENT NO. 6, AYUSH JINDAL**

MOST RESPECTFULLY SUBMITTED:

1. That the present Reply to the Original Application is being filed on behalf of the Respondent No. 6 in pursuance to the Order dated 28.08.2024 and Order dated 25.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal in the present case wherein the Respondents have been directed to submit their Replies.
2. That save except for those which are matters of record, all averments, statements, and submissions made in the above-mentioned Original Application are disputed and denied as if traversed seriatim unless specifically admitted herein, and therefore no part of the Affidavit should be deemed to be admitted for want of specific denial.
3. That the answering Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to file a further Reply in the present matter, if necessary. Further, at the outset, the answering Respondent would humbly submit that the subject shop in the present *lis* does not belong to the answering Respondent and neither does the answering Respondent have a stake in the shop or any role to play in the day-to-day operations of the subject shop. Furthermore, the only connection that the answering Respondent had to the unit in question is that the shop belongs to the uncle of the answering Respondent. In any case, to the best of the knowledge of the answering

Respondent, a brief of the facts is humbly submitted in the subsequent paragraphs to clarify the events concerning the unfortunate fire break out that took place in the grocery shop of the uncle of the answering Respondent i.e. Respondent No. 5 in the present matter, on 20.02.2023. It is also submitted that the clarification on the events, as below, is crucial for a holistic adjudication of the present matter.

4. That it is submitted that the answering Respondent is a highly qualified individual in his domain, having completed his B. Tech in Mechanical Engineering from the Phonics Group of Institutions, Roorkee, Uttarakhand, the answering Respondent has been employed as a Quality Testing Man in a Mechanical Department at Vijay Power System, an establishment situated in Bhangeri, Roorkee, Uttarakhand. The said business is engaged in retail trade, excluding motor vehicles and motorcycles, and specializes in the sale of household appliances, goods, computers, peripheral units, software, and telecommunications equipment through specialized stores.
5. That the answering Respondent is a nephew of Respondent No. 5, Alok Jindal, owner of a grocery shop having its principal place of business at 70, K-Kanoongoyan, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand – 247667. In this regard, it is submitted that the uncle of the answering Respondent is engaged in the business of wholesale and retail sales of stationary products, kites, Holi colours, etc among others.
6. That Respondent No. 5, Alok Jindal, uncle of the answering Respondent has another shop nearby, which contains reserves of the products to be sold in his main shop such as kites, charkha, Pertinently, the said warehouse is located in a larger complex wherein the unfortunate fire broke out on 20.02.2023 owing to a short circuit which ultimately led to a fire in the inverter battery.
7. That, further, as a result of the fire breaking out due to the short circuit, all goods in the shop of the Respondent No. 05, uncle of answering Respondent caught fire and resulted in the unfortunate death of four persons and injury to two others.

Pertinently, at the time of the unfortunate fire break out, the Respondent No. 5, Alok Jindal, uncle of the answering Respondent was at a nearby confectionery shop and it was the answering Respondent who immediately reached the site of the incident, after being informed about the incident.

8. It is respectfully submitted that the premises where the shop of Respondent No. 5 was located comprised a total of nine shops, and the wiring to the said shop is from the outside of the shop, unfortunately, due short circuit fire break out.
9. That upon learning of the incident and the casualties from the answering Respondent, Respondent No. 5, Alok Jindal, uncle of answering Respondent herein was in complete and utter shock which led to dizziness and nausea. After recovering, the answering Respondent was assisted by the Respondent No. 5 in extinguishing the fire. During this, however, the answering Respondent as well as his uncle, Respondent No. 5 got badly injured and were subsequently admitted to Vinay Vishal Hospital at Roorkee from where they were referred to a higher center due to serious condition and absence of burn ward. Specifically, on 20.02.2023 the answering Respondent and his uncle, Respondent No. 5 were admitted to Meerut Critical Care Hospital, Shastri Nagar, Meerut.
10. The answering Respondent most respectfully reiterates that he is a law-abiding citizen and has been employed as a Quality Testing Man in a Mechanical Department at Vijay Power System at Vijay Power System. It is further submitted that the answering Respondent has no connection, direct or indirect, with the ownership, management, control, operations, or day-to-day affairs of the business owned and operated by his uncle, where the unfortunate accident in question took place. The answering Respondent neither holds any financial or proprietary interest in the said business nor has he ever participated in any decision-making process concerning its functioning.

11. It is respectfully submitted that Annexure A/1 at Page 25 solely describes the incident of a fire breaking out at the complex. However, it does not provide any details regarding the items that were allegedly recovered from the site. Furthermore, the document does not contain any reference to a formal memo or inventory listing the recovered items, which is a crucial procedural requirement for establishing the nature and ownership of such items. In the absence of such documentation, no inference can be drawn against the answering Respondent regarding any alleged recovery.

PROCEEDINGS ALREADY INITIATED AGAINST THE ANSWERING RESPONDENT NO. 6

12. That on the same day as the fire broke out i.e. 20.02.2023, an FIR was lodged in the Police Station Kotwali, Roorkee, against both the answering Respondent and his uncle, respondent No. 5 for alleged commission of offences under the Indian Penal Code, 1860 and the Explosives Act, 1908.
13. It is submitted that a FIR No. 198/2023, dated 20.02.2023, was registered against answering Respondent and Respondent No.5. The charge sheet has already been filed in the present case and the trial is ongoing. However, it is pertinent to mention, that answering Respondent and Respondent No. 5 were remanded on 19.03.2023, and at the time of remand, Section 4 of the Explosive Substances Act, 1908, was omitted. A certified copy of the charge sheet is enclosed herewith for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal as **ANNEXURE R/1**.
14. That a Notice for arrest under Section 55 of the Criminal Procedure Code, 1973 was issued on 28.02.2023 against the answering Respondent. However, at that time the answering Respondent had been admitted in the intensive care unit of the Meerut Critical Care Hospital since 21.02.2023 due severe burn injuries. Owing to his ailments, the answering Respondent was on oxygen support and was in a very critical condition. Thus, no Permission was given for his discharge from the

hospital. A true copy of the Hospital Report of the Meerut Critical Care Hospital as on 28.02.2023 has been appended herewith as **ANNEXURE R/2**.

15. It is respectfully submitted that in the present case, the Forensic Science Laboratory (FSL) report of the soil sample, blood sample, and soil mixed with blood has been received, wherein the findings did not yield a conclusive match. A certified copy of the said FSL report is enclosed herewith for the kind perusal of this Hon'ble Court as **ANNEXURE R/3**.

16. That currently proceedings have been ongoing before the Hon'ble Court of the Additional District Judge- I of Roorkee. It may be pertinent to note herein that during the stage of cross-examination before the Hon'ble Trial Court, multiple witnesses have come forward to testify with respect to the incident. The statements of witnesses during the Cross-Examination are reproduced for the ready reference of the Tribunal: -

- i. Statement of one Mr. Neeraj Kumar, who works with the shop situated immediately opposite to that of the Respondent No. 5's shop. A true copy of one Mr. Neeraj Kumar's statement before the Hon'ble District Court dated 02.07.2024 has been appended herewith as **ANNEXURE R/4**. A relevant excerpt has been reproduced herein below:

Cross:

Para No. 11: I have never seen the answering Respondent/ Ayush Jindal in the shop. He works in a Transformer shop.”

- ii. Statement of one Aadil, an ex-worker at the shop of the uncle of the answering Respondent who happened to bear witness to the fire breaking out at the shop of the Respondent No. 5. A true copy of the cross-examination statement of Aadil dated 01.08.2024 has been appended herewith as **Annexure R/5**. A relevant excerpt has been reproduced herein below:

Cross:

Para 10, 11

Para 10: “There is a house behind the shop of Respondent No. 5 and Ayush/answering Respondent was at home. He works in a Transformer Company located in Adarsh Nagar.

Para 11: I have never seen Ayush at the shop. Ayush is not engaged in a shop in any manner.”

- iii. Chief Examination and cross-examination statement of Sub- Inspector Naresh Kumar before the Hon’ble Additional District Judge of Roorkee which reflects that no firecracker of any kind was ever recovered from the shop or warehouse of the uncle of the answering Respondent. Additionally, it has also been stated by him that his initial statements regarding the existence of firecrackers in the shop of the uncle of the answering Respondent were based on rumours circulating in the locality instead of any cogent material. A true copy of the statement of Sub- Inspector Naresh Kumar dated 28.08.2024 has been appended herewith as **ANNEXURE R/6**. A relevant excerpt has been reproduced herein below:

Cross

Para 17: “What I have told in the Chief Examination is that the firecracker shop was run by the owner Alok Jindal, Respondent No. 5 along with his nephew, the answering Respondent who did not have any valid license. I have heard this from the people around me and I had given a disclosure against them in a General Diary on this matter.”

- iv. Statement of one Suraj Kashyap submitted during examination and cross-examination before the Hon’ble Additional District Judge-I of Roorkee wherein he has submitted that he is an e-rickshaw driver who went to drop the goods from Dr. Goyal’s Lane to Mohalla Kanungoyan. Pertinently, he saw

electric wires catching fire and as a result of the smoke fell unconscious. He also stated that he neither saw nor heard any sound of firecrackers. A true copy of the statement submitted by Suraj Kashyap on 28.08.2024 has been appended herewith as **ANNEXURE R/7**.

- v. Statement recorded during cross examination by Dr. Tarik Aziz before the Hon'ble Additional District Judge-I of Roorkee. Doctor Aziz was working as a medical officer in the office of the Sub Divisional Magistrate of Roorkee and it was he who had examined the bodies of two of the deceased i.e. Armaan and Adnan during the postmortem and prepared their post mortem reports. In his statement, he has mentioned that the cause of death is due to cardiac arrest and suffocation. Further that there was no trace of firecracker explosive material in the bodies of the diseased. A true copy of the statement dated 17.01.2025 by Dr. Tarik Aziz has been appended herewith as **ANNEXURE R/8**.
- vi. Cross-examination statement of S.I. Baru Singh before the Hon'ble Additional District Judge of Roorkee. A true copy of the statement of Sub - Inspector Baru Singh dated 05.02.2025 has been appended herewith as **ANNEXURE R/9**. A relevant excerpt has been reproduced herein below:

Cross:

Para 49: "It is correct to say that I did not write the name of Ayush in the FIR dated 20/21.02.2023."

17. That the above statements submitted by various witnesses during the examination and cross-examination before the Hon'ble Additional District Judge-I of Roorkee illustrate that the answering Respondent had no role in the operations of the subject shop and, further, that no evidence of any firecracker material or explosive material was found or observed in the shop of the Respondent No. 5, Uncle of the answering Respondent. FIR and chargesheet are still under the scrutiny of the court

and their accuracy is yet to be determined and is not backed by the evidence and is not a conclusive piece of evidence.

18. That, in any case, proceedings is currently on-going before the appropriate forum i.e. the Hon'ble Additional District Judge of Roorkee. Further, it is most humbly submitted by the answering Respondent herein that the present case does not involve any violation of existing environmental norms, especially any offence under the statutes listed in Schedule I of the National Green Tribunal Act, 2010.

PARA-WISE REPLY TO THE ORIGINAL APPLICATION

19. That the contents of Para 1 to 27 are summarily denied as are the Grounds. It is humbly submitted by the answering Respondent that there is no question of non-compliance of environmental norms since the shop and warehouse of the Respondent No. 5 are not covered under the Harmonious Classification of Industries issued in 2016 by the Central Pollution Control Board as per which industries have been classified as Red, Orange, Green and White. Further, neither is the activity of the answering Respondent covered under the EIA Notification, 2006 issued under the Environment (Protection) Act, 1986.
20. The answering Respondent submits that he has no involvement, direct or indirect, in the ownership, management, supervision, or operation of the said warehouse. He neither exercises any control over the storage or handling of goods therein nor has he ever been responsible for implementing or overseeing any safety measures. In view of the foregoing, the question of non-compliance with the Guidelines dated 07.11.2017 or any purported violation of the Orders and directions issued by this Hon'ble Tribunal vide order dated 11.06.2021 in O.A. No. 44/2021, titled *In Re: News Item Published in The New Indian Express Dated 12.02.2021 Titled "At Least 19 Dead in Virudhunagar Firecracker Factory Blast, More Than 30 Injured"*, does not arise. Consequently, there is no violation of the Manufacture,

Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, attributable to the answering Respondent.

21. That with regard to the reference made to the Order dated 11.06.2021 of this Hon'ble Tribunal in the O.A. No. 44 of 2021 titled In re: News item published in the News Indian Express dated 12.02.2021 titled "At least 19 dead in Virudhanagar firecracker factory blast, more than 30 injured", it is humbly submitted by the Respondent No. 5, that the facts of the quoted case are completely different from the facts of the present matter in that in the instant case, the cause of the incident was not unscientific handling of hazardous chemicals for business purposes at all. Instead, the fire broke out owing to a short circuit which could not have been foreseen by the answering Respondent herein.
22. That the response Affidavit dated 22.11.2024 filed by the Uttarakhand Pollution Control Board to the present Original Application places reliance solely on the FIR and Chargesheet relating to the incident and does not state or reflect any finding in terms of environmental damage in addition to the said FIR and Chargesheet.
23. That the response Affidavit dated 25.11.2024 filed on behalf of the District Magistrate of Haridwar to this Original Application, much like the Affidavit filed on behalf of the Uttarakhand Pollution Control Board dated 22.11.2024 relies solely on the FIR and Chargesheet instead of any cogent material to reflect damage to the environment or even to reflect that there was existence of firecrackers inside the shop or warehouse of the answering Respondent.
24. It is further submitted that the said report, prepared by Dhaniram Saini (Naib Tehsildar), Mr. Pankaj Rajput (Sub-Inspector), Mr. Sundarpal (Fire Officer), Ms. Anshu Chaudhary (Sub-Inspector), and Dr. Rajendra Singh (Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board), is solely based on the statements recorded in the previously registered FIR. The Joint Committee did not conduct any

recovery proceedings on 08.11.2024, nor were any of the committee members present at the time of the incident on 20.02.2023.

25. Moreover, none of the members of the Joint Committee are cited as witnesses in any of the charge sheets filed in the present case. Thus, the report appears to have been prepared formally, relying exclusively on the statements recorded in the FIR, rather than on any independent findings or substantive material evidence.
26. That in view of the aforesaid Paras, it is humbly submitted that the Application be dismissed accordingly.

Date: 16.03.2025

Place: New Delhi

DRAWN & FILED BY:



Vedant Bijalwan & Abhishek Darmora
Advocates for the Respondent Nos. 6
Address: P-97, South Extension II,
Block P, Delhi, New Delhi – 110049
Email Id: vedantbijalwan1@gmail.com
Mobile No.: +91 - 8077742194

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

O.A. NO. 1101 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Rafeeq Ahmad & Ors.

.... Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

.... Respondents

AFFIDAVIT

I, Ayush Jindal, S/o Sushil Kumar Jindal, aged about 27 years, R/o House No. 93, Kannon Goyan, Roorkee, Haridwar, Uttarakhand – 247667 do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Respondent No. 6 in the matter and as such I am conversant with the facts and circumstances of the case and I am competent to swear the present Affidavit.
2. That the contents of the accompanying reply have been drafted by the counsel under my instructions and the contents along with the attached Annexures are true and correct to the best of my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

*Identified by P
Vedant Bhatnagar
Reg No UK 1180/23*

Ayush Jindal
DEPONENT

Verification:

Verified at Dehradun on this 16 day of March, 2025 that the contents of the above affidavit with its annexures are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



This affidavit is sworn before me by
Shri. *Ayush Jindal*
who is identified by Shri. *Vedant Bhatnagar*
at Dehradun on. *16/3/2025*

Ayush Jindal
DEPONENT
16/3/2025
KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
3 18/2/28	19/2/28	20/2/28	 20/2/28

— मायालक्ष प्रकाश आर्य सहायक न्यायाधीश, नडकी
काय प्रदीक्षण सं. - 155/2023

सरकार बनाम आलोक जे. इल आदि

डॉ. धार - 304, 308, 338, 286 आई पीसी
व 3 विरफोटस पदार्थ अधिक

थाना - नडकी

नकल - अक्षय प्रकाश की प्रामाणिक छायाप्रति
संलग्न है।



Meerut Critical Care Hospital

L- 637, Shastri Nagar, Hapur Road, Meerut.
Ph.: 0121-2708090, 9759230510, 9412622224

Pt Ayush Kumar Age-24/year Add= Civil Line Distt (Roorkee) admitted in hospital on date 21/02/2023 at 2.35Am in case Burn Injury And Oxygen saport very critical condition and very poor prognosis so patient treatment in icu under treatment Dr Mohd Sakir (MD) & Dr Navneet Garg (MS) Permission not allowed for discharge.





23/2/23

MCC Hospital

AMARJEET SINGH
 Advocate
 Reg. No.-UK 5491/04, Ch.No.-21
 Civil Court, Ramnagar, Roorkee
 Mob.-9897504484

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
13/12/24	13/12/24	20/12/24	 20/12/24



ज्यामान प्रथम नमर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी
 सत्र परिभाषा संख्या 155/2023
 संख्यार काम गोलोक डिपलम कास
 द्वारा 304, 308, 338, 206 नमर नमर
 न 3 डिपलम के मपक कार्य विपम
 जाला लक्ष्मी
 जमल विधि विज्ञान प्रयोग बाला दिवसक
 04/5/2024 नमर न/12024 26 स नमर प्रमाणित
 वापस जाला संलग्न है 3





PANDITWARI, CHAKRATA ROAD, DEHRADUN, UTTARAKHAND

TEL.: 0135 - 3517245

Email: fsluttarakhand@gmail.com, fsl@uttarakhandpolice.com

FORENSIC EXAMINATION REPORT
(Admissible u/s 293 of CrPC)

26/05
3

1. Report No: SFSL(UTT)/557/SERO/59/23, Dated: 04.05.2024
2. Ref. Letter No. Nil, Dated: 28.03.2023
3. Forwarding Authority: Addl. Chief Judicial Magistrate, Roorkee, Haridwar
4. Case Reference: Case Cr. No. 198/2023, U/S. 304, 308, 338, 286 IPC & 3, 4 Explosive Substance Act. P.S Roorkee, Distt. Haridwar.
5. Mode and date of Receipt: Through Const. 127 CP Prayag Joshi on dated 29.03.2023
6. Description of Parcels and Exhibits received:

No. of Parcels Received: Two sealed tape bound plastic boxes (I and II) containing two exhibits marked by me as Exhibits – 1 to 2.

Condition of seal on the parcel: The tape bound plastic boxes (I and II) were sealed as per specimen seal provided " B. S. C. SI UKP " and were found intact.



	Description of Exhibits
'I'	Exhibit –1 Said to be stained soil-cement sample, collected from the crime scene.
'II'	Exhibit –2 Said to be stained soil-cement sample, collected from the crime scene.

Result of examination for detection of blood:

1. Blood could not be detected on Exhibits – 1 and 2.

Note:

1. Results related only to exhibits/documents tested/examined.
2. After the examination, exhibits/remnants have been sealed in two tape bound plastic boxes (no. I & II) as per specimen seal given below.

Specimen Seal Impression



WA/00

11/05/2024

same to be tested

(Bushy Kamal)
Addl. Chief Judicial Magistrate
Roorkee
08/05/24

(Dr Manoj Agrawal)
Deputy Director
(Dr) MANOJ KUMAR AGRAWAL
Deputy Director
FSL, Uttarakhand
Forensic Science Laboratory
Uttarakhand, Dehradun

प्रमाणित प्रतिलिपि
21/05/24
(मुख्य प्रतिलिपिक)
श्या. अपर जिला जज, रुड़की
जिला हरिद्वार

प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

संक्षी- NEERAJ KUMAR उम्र- 23 साल

पिता का नाम - SHRI CHATARPAL

पता- VILL DHANDERA, NEAR BALAJI MANDIR PS- ROORKEE, HARDWAR,
UTTARAKHAND

सशपथ बयान किया कि-

1. घटना के समय मैं अंशुल मेहन्दीरत्ता की दुकान पर काम करता था। दिनांक 20.03.2023 को मैं अंशुल मेहन्दीरत्ता को उनकी दुकान से गोदाम पर समान रखने के लिए समय 10 बजे गया था। वहां पर मैंने देखा की वाईरिंग में शॉट सर्किट हो रहा है, जिसकी वजह से इन्वर्टर की बैटरी बलास्ट हो गयी और वहां काफी धुआं हो गया था और कुछ भी दिखायी नहीं दे रहा था, उस धुएं की वजह से मैं चक्कर खाकर वहां पर गिर गया और उसके बाद वहां पर क्या हुआ मुझे कुछ जानकारी नहीं है। इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। गवाह से जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जिरह द्वारा अभियोजन-

2. इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी।

3. गवाह को उसका बयान 161 सीआरपीसी "अंशुल मेहन्दीरत्ता की एकटीवा लेकर समय 11 या 11:30 बजे दिन सामान लेने गोदाम में गया था, जो पटाखे गोदाम के सामने है.....सीढियों के पास जलाकर दिखा रहे थे.....अचानक आग लगी व मालिक ने शटर बन्द किया, एक धमाके की आवाज हुई.....तब से घर पर ही हूँ। पढकर सुनाया गया, जिससे गवाह ने इंकार किया और कहा कि मैंने यह बयान पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।

4. यह कहना गलत है कि मेरे सामने पटाखे की दुकान में आग लगी हो जिसकी वजह से मेरे व अन्य व्यक्तियों को चोटें आयी हो।

5. यह कहना गलत है कि मैंने दौरान विवेचना पुलिस को सब सच व सही बयान दिया हो।

6. यह कहना गलत है कि विचारण के दौरान मुल्जिमान से समझौता होने के कारण व उन्हे बचाने की गरज से मैं आज सही बात न बता रहा हूँ।

नेराज कुमार

दिनांक- 02-07-2024

XX

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर

अहमद-

7. मैं अंशुल मेहन्दीरत्ता की दुकान पर करीब डेढ वर्ष से कार्य करता हू।

8. मैं आलोक की दुकान पर अकसर आता जाता रहता था। आलोक की दुकान के सामने ही हमारा गोदाम है।

9. मैंने कभी भी आलोक की दुकान पर पटाखे नहीं देखे।

10. आलोक जिन्दल कॉल्ड ड्रिंक, बी0डी0 सिगरेट, पतंगों का होलसेल का कार्य करता था।

11. मैंने आयुष को कभी दुकान पर नहीं देखा, आयुष ट्रांसफार्मर की दुकान पर नौकरी करता है।

12. घटना के दिन मैंने कोई पटाखों की आवाज नहीं सुनी और न ही मेरे सामने कोई

घटना हुई।

सुनकर तस्दीक किया

जीरज कुमार
गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)

(रमा बांडेय)

प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मुख्य न्यायालय)
प्रथम अपर जिला जज, रुड़की
जिला, रुड़की

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
8 18/11/24	20/11/24	20/11/2024	M2 20/11/2024



उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, रायबरेली
जिला न्यायालय
जिसका नंबर 143/2023
जिसका नाम 'अज्ञात' जिनका नाम 'अज्ञात' है
कारण 30.11.2023 256. न्यायालय न्यायालय
के उच्च न्यायालय के पास जहाँ न्यायालय न्यायालय
को न्यायालय

1 नमूना न्यायालय PW2 दिनांक 01-8-2024 को
प्रतिलिपि व धारा जिले सजावट हेतू



प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

18/8

सोक्षी- AADIL उम्र- 20 साल

पिता का नाम - AAKIL

पता- BANDAROAD ROORKEE, HARDWAR, UTTARAKHAND

सशपथ बयान किया कि—


1. दिनांक 20.02.2023 को मैं आलोक की दुकान पर काम करता था। मैं दुकान पर था, किसी के गोदाम पर वाईरिंग में आग लग जाने के कारण आग लग गयी थी, वहां पर बहुत से लोगों के गोदाम है, किसके गोदाम की वाईरिंग से आग लगी थी, मैं नहीं बता सकता।
2. मैं अदनान व अरमान को नहीं जानता, मैं अकेला ही वहां काम करता था और कोई मेरे साथ काम नहीं करता था। मेरे सामने आलोक व आयुष किसी को पटाखे जलाकर नहीं दिखा रहे थे। मेरे सामने उस दिन वहां पर पटाखे रिक्शे में लाकर स्टोर नहीं किये गये थे।

इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। गवाह से जिरह की अनुमति प्रदान की गयी।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जिरह द्वारा अभियोजन—

3. इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरे से कोई पूछताछ नहीं की थी।
4. गवाह को उसका बयान 161 सीआरपीसी "जैसे ही मैं गोदाम से बाहर आया धमाका हो गया.....आलोक उस समय बाहर दुकान पर था आयुष अन्दर जाते समय 11 बजे पटाखे की दुकान पर था.....अरमान व अदनान उसके पास काम करते थे.....पटाखे लेने आये थे, को जलाकर सीढियों के पास दिखा रहे थे.....चार लोग मर गये थे और 02 घायल हो गये थे।" पढकर सुनाया गया, जिससे गवाह ने इकार किया और कहा कि मैंने यह बयान पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख दिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।
5. यह कहना गलत है कि मेरे सामने पटाखे की दुकान में आग लगी हो।
6. यह कहना गलत है कि मैंने दौरान विवेचना पुलिस को सब सच व सही बयान दिया हो।

 AAADIL

7. यह कहना गलत है कि विचारण के दौरान मुल्जिमान से समझौता होने के कारण व उनका कर्मचारी होने के कारण उन्हें बचाने की गरज से मैं आज सही बात न बता रहा हूँ।

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर अहमद—

8. मैं आलोक जिन्दल की दुकान पर घटना से करीब 06 माह से पहले काम कर रहा हूँ। मैंने कभी भी आलोक जिन्दल की दुकान पर पटाखे व पटाखे की सामग्री नहीं देखी।

9. मैं व आलोक जिन्दल अपनी सड़क वाली दुकान पर थे गोदाम पर नहीं थे।

10. दुकान के पीछे घर है और आयुष भी घर पर ही था वह आदर्श नगर में ट्रांसफार्मर की कम्पनी में काम करता है।

11. मैंने कभी भी आयुष को दुकान पर नहीं देखा। आयुष दुकान का किसी प्रकार का कार्य नहीं करता।

12. आलोक जिन्दल पतंग, चरखी, कोल्ड ड्रिक, नमकीन का होल सेल का कार्य करते हैं।

13. घटना के दिन मैंने कोई पटाखे की आवाज नहीं सुनी और न ही मेरे सामने कोई दुर्घटना घटित हुई।

14. आलोक जिन्दल की दुकान पर मैं करीब 06 माह से कार्य कर रहा था वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नौकर कार्य नहीं कर रहा था।

15. यह बात सही है कि आलोक जिन्दल का जहाँ गोदाम है वहाँ पर पन्नी, चोकर, तेल, बर्तन बहुत सारे व्यक्तियों के गोदाम है और उनकी वायरिंग भी गोदाम के बाहर

लगी हुई है। इनमें से किसी की वायरिंग में शॉट सर्किट हुआ और आग लग गयी।

16. हम सबने आग बुझाने की कोशिश की थी।

सुनकर तस्दीक किया

AADIL

गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)

प्रमाणित प्रतिलिपि

(रमा पांडेय)

प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

(मुख्य प्रतिलिपिक)

अपरा जिला जज, रुड़की
जिला हरिद्वार

-/TRUE COPY/-

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
8 18/11/24	20/11/24	20/11/24	ml 20/11/2024



जमापत्रागत प्रथम अपील जिला इंजि. नगर
जिला हरिद्वार
अपील नंबर 143/2023
अपीलकर्ता - बंशधर जालोला निवासी
338
द्वारा 30.11.2023 286 नंबर नो. 10
के 3/के. प्रो. 2024 पदार्थ अर्ज प्रेषित किया
नोट नगर

जमापत्रागत पत्र 3/10/2024 28-8-2024
जमापत्रागत धारा 3/के. प्रो. 2024



प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

साक्षी- S.I NARESH KUMAR उम्र- 44 साल

पिता का नाम - SHRI RAJENDRA KUMAR

पता- KOTWALI JWALAPUR, HARDWAR, UTTARAKHAND

सशपथ बयान किया कि—

1. दिनांक 20.02.2023 को मैं थाना कोतवाली रुड़की में वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन समय 12:19 बजे पंचायती धर्मशाला के पास आलोक जिन्दल पटाखे की दुकान/गोदाम में भंयकर विस्फोट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस सूचना पर मैं गाडी सरकारी व हमराहीयान के उच्चाधिकारीगणों को सूचना देते हुए थाने से रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचा था, तो वहां देखा कि पटाखों के विस्फोट होने की आवाज आ रही थी तथा धुंआ फैला हुआ था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी दौरान फायर ब्रिगेड रुड़की व अन्य थानों का फोर्स व उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंच गये थे। विस्फोट के कारण कॉम्पलेक्स के अन्दर जाना संभव नहीं हो पा रहा था। जिस कारण कॉम्पलेक्स के पीछे की दीवार को तोड़कर कॉम्पलेक्स में प्रवेश किया था। फायर सर्विस व पुलिस के द्वारा आग बुझाने के बाद घटना स्थल का मुआयना किया तो संकरी गली के अन्दर एक कॉम्पलेक्स में नीचे की 04 दुकाने पश्चिम मुहाने की स्थित दुकान व गोदाम थे। एक दुकान में विस्फोट पदार्थ/पटाखे की पेटियां रखी हुई थी जो भीग चुकी थी। अन्य दुकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो रखी थी। एक दुकान के अन्दर 04 व्यक्ति चुटैल अवस्था में दिखायी दिये थे व 02 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल/जले हुए गैलरी में दिखायी दिये थे। सभी 06 व्यक्तियों को बामुश्किल प्राइवेट/एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल रुड़की भिजवाया गया था, जिनमें से 04 व्यक्ति अरमान, अदनान, नुसरत व नौशाद को मृत घोषित कर दिया गया था व घायलों नीरज व सुरज को चिकित्सकों द्वारा हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था।

2. मौके पर फिल्ड युनिट की टीम आ गयी थी, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन एकत्रित किये गये थे, जिस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतू एसआई बारू सिंह चौहान को निर्देशित किया गया था। घटना स्थल मौहल्ला कानूनगोयन की सडक करीब 12 फीट तथा इसके पश्चात एक संकरी गली करीब 06 फीट चौडी में बने कॉम्पलेक्स के नीचे 04 दुकान का है। गोदाम में जाने के लिए मात्र 06 फीट का रास्ता था। कोई

(Signature)

वेन्टीलेटर व सुरक्षा के इन्तजाम नहीं किये गये थे। पटाखों के गोदाम को मालिक आलोक जिन्दल अपने भतीजे आयुष के साथ मिलकर चला रहा था, जिनके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था। आलोक जिन्दल व आयुष के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि यह लोग विनय विशाल अस्पताल रूडकी में भर्ती है।

3. इस घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी और 02 व्यक्ति घायल हुए थे, जोकि जुर्म धारा 308, 338, 304 व 286 आईपीसी में व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध था। जिस कारण मेरे द्वारा जुबानी बयान करके मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसका खुलासा रपट नं0 44 समय 06:15 पी0एम0 पर किया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही हेतु उपनि0 मनोज रावत व उपनि0 परम सिंह को बताया गया था। मौके पर बी0डी0एस0 की टीम भी पहुंची थी। फायर सर्विस रूडकी के द्वारा मौके पर आग बुझाने का काम किया गया था। मौके पर एक प्लाटून पी0एस0ई0 व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर अहमद-

4. यह बात सही है कि मेरे द्वारा कोई लिखित में तहरीर नहीं दी गयी थी।
5. यह बात सही है कि मौके पर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई फर्द पटाखे बरामदगी से सम्बन्धित नहीं बनायी गयी थी।
6. मुकदमा देरी से लिखाने का कारण भी मेरे द्वारा नहीं लिखवाया गया।
7. यह बात सही है कि जहां पर आग लगी थी वहां पर बहुत सारे गोदाम/दुकाने थी।
8. यह बात सही है आग लगने के दौरान बिजली के तारों में भी आग लगी थी।
9. पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे सामने नहीं हुई।
10. बी0डी0एस0 टीम मेरे सामने मौके पर आ गयी थी।
11. यह बात सही है कि गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि रवानगी की जीडी पत्रावली पर नहीं है।
12. यह बात सही है कि मुझे मौके पर आलोक व आयुष नहीं मिले थे।
13. यह बात सही है कि मैंने जीडी नं0 44 में किसी जनता के गवाह का खुलासा नहीं किया है और न ही मेरे द्वारा बनाया गया था।
14. मुख्य परीक्षा में जो बात मैंने बतायी है कि "एक दुकान में विस्फोट पदार्थ/पटाखे की पेटियां रखी हुई थी जो भीग चुकी थी" की फर्द मेरे द्वारा मौके पर बनायी गयी थी और न ही मेरे द्वारा सामान बरामद किया गया था।

Am

15. घायल व्यक्तियों में से कुछ को मैंने उठाया था और कुछ को अन्य लोगों व पुलिस कर्मचारी की मदद से उठाया गया था।

16. जीडी नं0 44 में धाराएं भी जो केस में लगी थी वह मैंने बोल बोल कर लिखवायी थी।

17. मुख्य परीक्षा में जो बात मैंने बतायी है कि पटाखों के गोदाम को मालिक आलोक जिन्दल अपने भतीजे आयुष के साथ मिलकर चला रहा था, जिनके पास कोई वैध लाईसेंस नहीं था" यह बात मैंने आस पास के लोगों से सुनी थी और सुनी सुनायी बात पर मैंने इनके विरुद्ध जीडी में खुलासा किया था।

18. 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा लिखवाने के लिए डी0एम महोदय की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। डी0एम0 की अनुमति विवेचना का पार्ट होता है, कि 3/4 का अपराध हुआ है या नहीं जो अन्वेषण अधिकारी होता है वही बता सकते हैं।

19. मुझे जो सूचना फोन से प्राप्त हुई थी वह किसने दी थी याद नहीं है और न ही मैं आज बता सकता हूँ।

20. यह कहना गलत है कि मैंने मौके पर पटाखों की आवाज न सुनी हो और वहां धुंआ न जल रहा हो।

21. यह कहना गलत है कि मैंने आज जो मुख्य परीक्षा में कुल कथन किया हो वह कानूनी सलाह व उच्चाधिकारियों के दबाव में आकर झूठे दिये हो।

22. यह कहना गलत है कि मैं मौके पर न गया हूँ।

23. यह कहना गलत है कि मैंने सारी कार्यवाही मौके पर न जाकर थाने पर बैठकर की हो।

24. यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने मेरे इस केस के सम्बन्ध में बयान न लिए हो।

सुनकर तस्वीक किया

SA

गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)

(रमा पांडेय)

प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मुख्य प्रतिलिपि)

बया. अपर जिला जज, रुड़की
जिला हरिद्वार

-/TRUE COPY/-

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
8 18/11/24	20-11-24	20-11-24	ml 20/11/2024



उत्तराखण्ड प्रथम अपर जिला जज कादमी
जिला हरिद्वार

अनु. परिभाषा संख्या 143/2023

अद्वार काम आलोक सिंदल आदि
338
धारा 304, 305, 256, 307, 308, 309
के अन्तर्गत पदवी अधिपत्रिका आदि
कोठ कादमी

नमाल काम के पत्र दिनांक 28-11-2024 को
प्रतिभाषा द्वारा जिले अलग है।



सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

साक्षी- SURAJ KASHYAP उम्र- 25 साल

पिता का नाम - RAJ KUMAR

पता- RAM NAGAR GALI NO. 03 ROORKEE, HARDWAR, UTTARAKHAND

सशपथ बयान किया कि-

1. मैं ई-रिक्शा चलाता था, दिनांक 20.02.2023 को ई-रिक्शा से डॉ0 गोयल की गली से पंचायती धर्मशाला के पास मौहल्ला कानूनगोयान के पास माल छोड़ने गया था। मैंने देखा था कि गौदाम के बिजली के तारों में आग लग रही थी और मैं चिल्लाता हुआ बाहर आया, वहां हुए धुंए के कारण मैं बेहोश होकर गिर गया था। मेरे शरीर पर कुछ जलने की चोट आयी थी, मैंने पटाखों में आग लगती हुई नहीं देखी और न ही पटाखों की आवाज सुनी।

इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। गवाह से जिरह की अनुमति चाही गयी। अनुमति प्रदान की गयी।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जिरह द्वारा अभियोजन-

2. घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी "आयुष एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कस्टमर को सीढियों के पास गोदाम के बाहर.....बलास्ट हो गया था.....कुल 07 लोग थे.....उसी से पटाखे के गोदाम में आग लगी है।" पढकर सुनाया गया, जिससे गवाह ने इन्कार किया और कहा कि पुलिस द्वारा मेरा यह बयान कैसे लिख दिया गया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता।

3. यह कहना गलत है कि गोदाम में आग पटाखे जलाने के कारण ही लगी हो।

4. यह कहना गलत है कि मेरा मुल्जिमान से राजीनामा हो गया हो और इस कारण मैं बिजलीके तारों से आग लगने वाली बात बता रहा हूं।


5. यह कहना गलत है कि मैंने विवेचना के दौरान पुलिस को सब सच व सही बयान दिया हो।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर

अहमद-

6. घटना के दिन मैंने पटाखों की आवाज नहीं सुनी और न ही मेरे सामने कोई घटना




दिनांक- 28-08-2024

हुई।

7. मैं आलोक व आयुष को नहीं जानता हूँ और न पहचानता हूँ।
8. मैंने अपने कोई मेडिकल के पर्चे दरोगा जी को नहीं दिये थे।
9. मैंने किसी दुकान या गोदाम पर पटाखे नहीं देखे थे।


सुनकर तस्दीक किया



गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)



(रमा पांडेय)


प्रथम अपर जिला जज, रुड़की



प्रमाणित प्रतिलिपि

(मुख्य प्रतिलिपिक)
 नं०: अपर जिला जज, रुड़की
 जिला हरिद्वार

केवल प्रतिलिपि फीस हेतु

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
27 20/12/20	25-12	25-12	 25/12/20

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रुड़की

सत्र परीक्षण सी - 155/2023

सरकार बनाम अलोक विदल आदि

ओ.ए.ए. - 304, 308, 338, 286 अधीनस्थ व

3 विकल्पों के पदार्थ अधिनियम

व्याप्त - रुड़की

मु. नं. 198/2023

नॉटिस - व्यक्त प.व. - 5 दिनोंक - 17/11/2020 की

तासीक अधीनस्थ की प्रमाणित कायापुर्त

बोली गई है।



सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

साक्षी- DR. TARIK AZIZ उम्र- 37 साल

पिता का नाम - ISRSHAD ALI

पता- P.H.C. JHABRERA, HARDWAR, UTTRAKAHAND

सशपथ बयान किया कि—

1. दिनांक 20.02.2023 को मैं एस0डी0एच0 रुड़की में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, उस दिन का0 भीमदत्त शर्मा व पी0आर0डी0 विनोद मृतक अरमान पुत्र रफीक निवासी— माहिग्रान मच्छीमौहल्ला रुड़की के शव को पोस्टमार्टम हेतु लेकर आये थे। शव का परीक्षण करने पर पाया गया कि मृतक के पूरे शरीर पर जलने के निशान थे और मृतक के हड्डी जोड़ में कुछ नहीं चोट नहीं थी।

2. मृत्यु का कारण हृदय की गति रुकने व घुटन से संभव है। मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के 12 से 24 घण्टे के बीच में होना संभव है। मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 9क/1 है, जिसकी पुस्त पर ए स्थान पर मेरे हस्ताक्षर व पद मोहर लगी है। जिस पर प्रदर्श पी-1/पी0डब्ल्यू-05 डाला गया।

3. दिनांक 20.02.2023 को उस दिन का0 भीमदत्त शर्मा व पी0आर0डी0 विनोद मृतक अरमान पुत्र समीर अहमद निवासी— माहिग्रान मच्छीमौहल्ला रुड़की के शव को पोस्टमार्टम हेतु लेकर आये थे। शव का परीक्षण करने पर पाया गया कि मृतक के पूरे शरीर पर जलने के निशान थे और मृतक के हड्डी जोड़ में कुछ नहीं चोट नहीं थी।

4. मृत्यु का कारण हृदय की गति रुकने व घुटन से संभव है। मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम के 12 से 24 घण्टे के बीच में होना संभव है। मेरे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 9क/2 है, जिसकी पुस्त पर ए1 स्थान पर मेरे हस्ताक्षर व पद मोहर लगी है। जिस पर प्रदर्श पी-2/पी0डब्ल्यू-05 डाला गया।

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर अहमद—

5. जब मैंने दोनों शव का पोस्टमार्टम किया था तो कोई पटाखे का अंश शरीर में नहीं पाया गया था और न ही कोई पटाखे/विस्फोटक सामग्री के निशान थे।

6. दोनों व्यक्तियों की मृत्यु का कारण दम घुटने से हुई है।

7. मैंने अरमान का पोस्टमार्टम पहले किया था।

8. एक पोस्टमार्टम में करीबन आधा पौना घण्टे का समय लगता है। पोस्टमार्टम की विडियोग्राफी की गयी थी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है।

9. दरोगा जी ने इस घटना के सम्बन्ध में मेरे कोई बयान नहीं लिए और न ही मुझसे कभी




दरोगा जी इस सम्बन्ध में मिले।

10. यह कहना गलत है कि मैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दे रहा हूं।

11. मृतक की मृत्यु 12 से 24 घण्टे के बीच होने वाली बात मैंने बतायी है वह मैंने अनुमान के आधार पर बतायी है, मैं मृतक की मृत्यु का समय निश्चित नहीं बता सकता।


सुनकर तस्दीक किया


गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)





(रमेश सिंह)


प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

WR 400

जाकीर अहमद

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मुख्य प्रतिलिपिक)
बया. अपर जिला जज, रुड़की
जिला हरिद्वार

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
6 18/12/25	18/12/25	20/12/25	 20/12/25

-याचकता प्रथम अर्ज संख्या - याचक/सी, कडकी

संख्या परीक्षा सं. - 155/2023

सरकार काय आलेख सिटिल आदि

अंश - 304, 308, 338, 286 अधिनियम व

3 विधायक पदार्थ आदि विषय

बाना - कडकी

नकल-बधाव पत्र-6 दिनांक - 05/02/2025 की

प्रमाणित दस्तावेज संलग्न हैं।



प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

सत्र परीक्षण 173/2023

राज्य सरकार बनाम आलोक जिन्दल आदि

30/5
1

साक्षी- S.I. BARU SINGH CHAUHAN उम्र- 56 साल

पिता का नाम - LATE SHRI KEDAR SINGH

पता- KOTWALI JAWALAPUR HARIDWAR, HARDWAR, UTTRAKAHAND

सशपथ बयान किया कि-

1. मैं दिनांक 20.02.2023 को को0 सिविल लाईन्स रुड़की में बतौर एसआई के पद पर नियुक्त था, उस दिन मौहल्ला कानूनगोयन चौकी सोतबी क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर मैं एसएसआई नरेश कुमार के साथ कानूनगोयान मौहल्ला में पहुंचा तो घटना स्थल से करीब 100 मीटर पीछे काफी यातायात अवरुद्ध होने के कारण मैं वहीं पर रुक गया था और एसएसआई नरेश कुमार घटना स्थल की तरफ चले गये थे। जब यातायात सुचारु हो गया तब मैं भी घटना स्थल पर चला गया था तो वहां पर काफी लोग इधर उधर मौजूद थे व फायर सर्विस व उच्चाधिकारीगण भी मौके पर आये हुए थे, जिनके द्वारा आग को बुझाया जा रहा था। मुझे एसएसआई नरेश कुमार के द्वारा घटना स्थल पर ही सुरक्षा की दृष्टि से मौजूद रहने के लिए बोलकर चले गये थे।

2. तत्पश्चात मुझे निर्देश दिये गये कि घटना स्थल से कुछ सैम्पल इकट्ठा किये जाने हैं, जिस पर मेरे द्वारा उपरोक्त तिथि को खून आलूदा मिट्टी व कुछ जला हुआ सामान व पटाखों के नमूने अलग अलग पारदर्शी डिब्बों में लिया गये थे। मेरे सामने फिल्ड युनिट टीम भी मौके पर मौजूद थी, जिनके सामने सैम्पल लिए गये थे। घटना स्थल पर शमीम व साकिब मौजूद थे, जिनके फर्द पर हस्ताक्षर करवाये गये थे, फर्द पत्रावली पर कागज सं0 7क/1 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिस पर प्रदर्श पी-3/पी0डब्ल्यू-06 अंकित

किया गया।

3. घटना में चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी और 02 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। दिनांक 21.02.2023 को मौके से फोर्स व गवाहन के सम्मुख अलग अलग किस्म के पटाखों की पेटियां थाने पर लाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु सुरक्षा की दृष्टि से एक बैरख में रखी गयी थी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने के मालखाना मोहरीर के सुपुर्द की गयी थी। फर्द मौके पर का0 विपिन व का0 विशन सिंह की मौजूदगी में तैयार की गयी थी, जिनको पढासुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये थे। फर्द पत्रावली पर कागज सं0 7क/2 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श पी-4/पी0डब्ल्यू-06 अंकित किया गया। माल का विवरण फर्द में अंकित किया गया। आलोक व आयुष विनय विशाल अस्पताल में भर्ती

(Signature)

थे।

जिरह वास्ते अभियुक्तगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अमरजीत सिंह व श्री तौकीर अहमद—

4. दिनांक 20.02.2023 को मैं थाने से एसएसआई नरेश कुमार के साथ गया था, दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा कोई पटाखे/विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं की गयी थी।

5. घटना स्थल की दिशाएं आज मुझे ध्यान नहीं है।

6. फर्द लिखने में मुझे कितना समय लगा था, ध्यान नहीं है।

7. फर्द मैंने दुकान बैठकर पर लिखी थी, दुकान किसकी थी, मैं नहीं बता सकता।

8. यह बात सही है कि 20/21.02.2023 की फर्द में आयुष या आलोक के परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है।

9. गवाह शमीम व साकिब का मैंने कोई आधारकार्ड, मोबाईल नं0 नहीं लिया और न ही मैं इन्हें जानता व पहचानता हूँ और न ही मैंने दरोगा जी को अपने बयानों में इनका नाम नहीं बताया।

10. यह बात सही है कि 20.02.2023 की फर्द में जिसमें मैंने सादा व खून आलूदा मिट्टी का नमूना लिखा है उसमें किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं करवाये, जबकि वहां पुलिस वाले और बहुत सारे थे।

11. यह कहना गलत है कि मैंने व पुलिस वालों ने शमीम व साकिब के फर्जी नाम लिखकर, फर्जी हस्ताक्षर किये हो।

12. यह बात सही है घटना स्थल पर कोई पटाखों की फैंक्ट्री व गोदाम नहीं था केवल दुकान थी। दुकान 8 X 10 की थी। मेरी निशानदेही पर कोई नक्शा नजरी नहीं बनाया गया।

13. मेरे सामने कोई एफएसएल की टीम मौके पर नहीं बुलायी गयी।


14. मेरे द्वारा कोई मौके पर विडियाग्राफी या फोटोग्राफी नहीं की गयी।

15. 21.02.2023 को घटना स्थल से जो सामान थाने लेकर गये थे उस वाहन की नम्बर की मुझे जानकारी नहीं है, इस वाहन का जीडी में इद्राज भी नहीं किया। किसने इस वाहन के मालिक/चालक को भुगतान किया मुझे इस बात की जानकारी नहीं है और वाहन कितने बजे थाने पहुंचा मुझे जानकारी नहीं है।

16. यह बात सही है कि दुकान से पंतग, मांझा, होली का रंग बरामद हुआ था।

17. यह बात सही है कि मैंने 21.02.2023 की फर्द में उपरोक्त सामान का उल्लेख नहीं किया और मैं इसकी वजह नहीं बता सकता कि मैंने इस फर्द में पंतग व मांझा का उल्लेख नहीं किया।

18. मैंने सुना था कि मौके पर बिजली की तारों में शॉटसर्किट हो जाने की वजह से आग लगी थी। मौके पर कुछ बिजली के जले हुए तार भी मिले थे और इन्वर्टर के फटे हुए



टूकडे भी मिले थे।

19. यह सही है कि दिनांक 20/21.02.2023 की फर्द पर एसएसआई नरेश कुमार के हस्ताक्षर नहीं है।

20. यह बात सही है कि जहां पर आग लगी थी वहां पर बहुत सी दुकाने हैं।

21. यह बात सही है कि एसएसआई नरेश कुमार द्वारा कोई सामान बरामद नहीं किया गया था।

22. मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया।

23. यह बात सही है कि विस्फोटक अधिनियम के मुकदमें के लिए डी0एम0 की आवश्यकता होती है।

24. यह बात सही है कि माल मुकदमा आज मेरे सामने नहीं है।

25. यह बात सही कि दिनांक 21.02.2023 को पीयुष के घर पटाखे बरामद हुए थे, जिसका मुकदमा थाना को0 गंगनहर में दर्ज हुआ था।

26. दिनांक 21.02.2023 की फर्द में जो पटाखे बरामद होना बताया है उसकी कम्पनी/ब्रान्ड मैं नहीं बता सकता, पटाखे जिन्दा था या मृत थे मैं नहीं बता सकता और न ही मैंने पटाखों को गिना था और कितने नग बनाये थे मैं नहीं बता सकता और इस फर्द में कोई जनता का मुवाह नहीं है और न ही आलोक व आयुष के परिवार का कोई सदस्य मुवाह है।

27. यह बात सही है कि थाने पर एसएसआई नरेश कुमार ने सारे कट्टे खोलकर सारा सामान चैक किया था।

28. मैंने आस पास के लोगों से पूछताछ की थी तो उन्होंने यह बताया था कि ये लोग पतंग, मांझे और होली के सामान का काम करते हैं और पटाखों का कोई फैंक्ट्री या गोदाम नहीं है।

29. यह बात सही है कि आलोक ने निम्न न्यायालय में पतंग व मांझे का रिलीज का प्रार्थना पत्र दिया था और मैंने उस पर रिपोर्ट लगायी थी कि पतंग व मांझा रिलीज में कोई आपत्ति नहीं है।

30. यह बात सही है कि बरामदा सामान की मैं पहचान नहीं कर सकता हूं।

31. यह कहना सही है कि मैंने कोई डिब्बा खोलकर नहीं देखा कि डिब्बों में क्या था।

32. यह सही है कि आलोक की दुकान पर कोई पटाखे बनाने की मशीन व कच्चा सामान/मैनुफैक्चरिंग नहीं मिला था।

33. मेरे द्वारा दिनांक 20/21.02.2023 को बरामद सामान न्यायालय में मेरे द्वारा बरामदगी के दिन या कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

34. यह बात सही है कि 20.02.2023 को आग लग जाने के कारण दुकान पर कोई सामान

[Handwritten Signature]

नहीं बचा था सब कुछ राख हो गया था⁴⁰

35. यह सही है कि एसएसआई नरेश कुमार के सामने कोई विस्फोटक सामग्री/पटाखे बरामद नहीं हुए।

36. यह बात सही है कि मैंने अपने बयानों में विवेचक को माल का विवरण नहीं बताया था।

37. दिनांक 20.02.2023 को मैं शाम 05 बजे थाने आ गया था और आमदगी थाने पर दर्ज करवायी थी।

38. दिनांक 20/21.02.2023 की जीडी में मैंने बरामद सामान का इद्राज कराया था और कोई बात हेड मोहररि को नहीं बतायी थी।

39. यह सही है कि जब मैं 20.02.2023 को एसएसआई नरेश कुमार के साथ गया था तो मुझे पटाखों की आवाज नहीं आयी थी।

40. मेरे सामने एसएसआई नरेश कुमार ने कॉम्प्लेक्स की दीवार नहीं तोड़ी और नहीं वहां प्रवेश किया।

41. घटना के बाद मुझे पता चला था कि आलोक चलने फिरने में असमर्थ है।

42. यह कहना गलत है कि मैंने एसएसआई नरेश कुमार के कहने पर 20/21.02.2023 की फर्द झूठी बनायी हो।

43. यह कहना गलत है कि कोई माल बरामद न हुआ हो।

44. यह कहना गलत है कि थाने पर माल खोला न गया हो।

45. यह कहना गलत है कि 20/21.02.2023 की फर्द में थाने पर बैठकर बनायी हो।

46. यह कहना गलत है कि मैं आज माननीय न्यायालय के समक्ष झूठी गवाही दे रहा हूं।

47. यह कहना गलत है कि मुख्य परीक्षा में दिया गया कुल कथन मैं अपने उच्चाधिकारियों के कहने पर झूठे दे रहा हूं।

48. यह कहना गलत है कि बिजली विभाग को बचाने के लिए और उच्चाधिकारियों के दबाव में हमने झूठा मुकदमा किया हो।

49. यह कहना सही है कि 20/21.02.2023 की फर्द में मैंने आयुष का नाम नहीं लिखा।

50. यह कहना गलत है कि मैं मौके पर न गया हू।

51. यह बात सही है कि थाने से रवानगी की जीडी पत्रावली पर नहीं है।

52. यह कहना गलत है कि 21.02.2023 को पीयुष के गोदाम से जो पटाखे बरामद हुए थे वह हमने इस केस में फर्जी प्लान्ट किये हो।

53. यह बात सही है कि नमूना मोहर भी आज पत्रावली पर नहीं है।

54. 20.02.2023 की फर्द में जो मैंने लिखा है कि "एक दुकान में आग लग गयी है" यह मैंने सूनी बात पर लिखा है।

55. मेरे द्वारा नग भी नहीं गिने गये थे।

56. यह कहना गलत है कि 20/21.02.2023 को शाम 05 बजे वापसी का जीडी में इद्राज

(Handwritten Signature)

05/02/2025

सत्र परीक्षण 173/2023

पी डक्यू - 6

दिनांक- 05-02-2025

30/5

न किया हो।

57. यह कहना गलत है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान इस घटना के सम्बन्ध में न लिए हो।

58. यह कहना सही है कि 21.02.2023 की फर्द में का0 विशन सिंह के हस्ताक्षर नहीं है।


सुनकर तस्दीक किया

गवाह हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि गवाह के बयान मेरे सामने खुले न्यायालय में मेरे निर्देशन में जानकारी में दर्ज किये गए और गवाह ने जो बोला वही लिखा गया।

पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर (PO)




(रमेश सिंह)
प्रथम अपर जिला जज, रुड़की

WP 1500

प्रमाणित प्रतिलिपि

(मुख्य प्रतिलिपिक)

प्रथम अपर जिला जज, रुड़की
जिला हरिदा

19/2/25

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 1101 OF 2024/PB

IN THE MATTER OF:

Rafeek Ahamad & Ors

Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors


Respondent(s)

VAKALATNAMA

We, Alok Jindal S/o Late Prasan Prakash aged about 49 years & Ayush Jindal S/o Sushil Jindal aged about 26 years DEFENDANT / RESPONDENT/ PETITIONER / OPPOSITE PARTY/ APPLICANT, in the above application/suit/appeal/petition/ reference do hereby appoint and retain Pawan Upadhyay / Vedant Bijalwan / Abhishek Darmora / Varun Sharma / Amar Jeet Singh Advocates of the National Green Tribunal, to act and appear for me/us in the above application/ suit/petition/appeal reference and on my/our behalf to conduct and prosecute or defend or withdraw the same and all proceedings that may be taken in respect of any application connected with the same or any decree or order passed therein, including proceedings in taxation and application for Review to file and obtain return of documents and to deposit and receive money on my / our behalf in the Application/Suit/Petition/Appeal reference and application for Review, and to represent me/us and to take all necessary steps on my/our behalf in the above matter. I/We agree to ratify all acts done by the aforesaid advocate, in pursuance of this authority.

Accepted Identified By

[Signature]
 Advocate,



Dated this the 23rd day of November, 2024

[Signature]

(Petitioner (s) / Appellant (s)

Respondent (s) / Defendant(s) / Opposite Party

MEMO OF APPEARANCE

To,

The Registrar,
 National Green Tribunal
 Principle Bench, at Delhi



Sir,

Kindly enter my appearance in the above matter on behalf of the Petitioner / Appellant / Respondent.

Dated 23.11.2024

[Signature]

Advocate for the
 Petitioner(s)/Appellant(s)/Respondent(s)



in:sent



Compose

Inbox 7,268

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 94

More

Labels

Service of reply for the R5 & R6 in the ma



Vedant Bijalwan <vedantbijalwan1@gmail.com>

to Mukesh



Dear Sir/Ma'am,

Please find attached the Reply for the Respondent 5 & 6 in the matte

Thanks and Regards

Adv. Vedant Bijalwan

2 Attachments • Scanned by Gmail



Reply

Forward



235

44



in:sent



Compose

Inbox 7,268

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 94

More

Labels

Service of reply for the R5 & R6 in the ma





Vedant Bijalwan <vedantbijalwan1@gmail.com>
to rkhuranalegal@gmail.com

Dear Sir/Ma'am,

Please find attached the Reply for the Respondent 5 & 6 in the matte

Thanks and Regards
Adv. Vedant Bijalwan

2 Attachments • Scanned by Gmail



Reply

Forward

